रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1427] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2008/आश्विन 18, 1930
No. 1427] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2008/ASVINA 18, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन के कारण होटलों के लिए बढ़े हुए एफ. ए. आर. देने के लिए प्रभारों का निर्धारण

का.आ. 2433(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. बढ़े हुए एफ. ए. आर. का लाभ उठाने के लिए पात्र सभी होटलों के लिए अतिरिक्त एफ. ए. आर. प्रभार, संबंधित जोन के लिए जोनल औसत नीलामी दर (जेड. ए. ए. आर) के 100 प्रतिशत पर वसूल किया जाएगा।

2. इसके अतिरिक्त, यदि होटल के अतिरिक्त कमरे 31-7-2010 से पहले पूरे हो जाते हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-8-2010 से पहले श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत किए जाते हैं, तो केवल उन होटलों को जेड. ए. ए. आर. के 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के दौरान बनने वाले नये होटलों को विशेष रूप से उपलब्ध आयकर छूट के पात्र नहीं हैं।

3. यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान योग्य राशि की 75 प्रतिशत राशि भवन नक्शों को प्रस्तुत करने के चरण पर वसूल की जाएगी तथा शेष 25 प्रतिशत राशि निर्माण पूरा होने के चरण पर वसूल की जाएगी।

4. जेड. ए. ए. आर के 75 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एफ. ए. आर. प्रभार उन होटलों से वसूल किए जाएंगे जो राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान बनने वाले नये होटलों को विशेष रूप से उपलब्ध आयकर छूट के पात्र नहीं हैं, जबकि उन होटलों जो इस प्रकार की छूट के पात्र हैं, से जेड. ए. ए. आर. के 100 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एफ. ए. आर. प्रभार वसूल किया जाएगा।

5. केन्द्रीय जोन के लिए, जिसमें एल. एण्ड डी. ओ./एन. डी. सी. सी. द्वारा मैसर्स होटल लीला वेंचर लिमिटेड को प्लाट नीलाम किया गया, जेड. ए. ए. आर. का परिकलन, उस प्लाट की नीलामी दर को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

[फा. सं. 20(4)/05-एम.पी./पार्ट-I(ए)]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2008

Fixation of charges for grant of enhanced FAR to Hotels arising out of modification in MPD 2021

S.O. 2433(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority with previous approval of Central Government hereby makes the following regulations :

(i) The charges for additional FAR for all hotels eligible for availing the enhanced FAR shall

be recovered at 100% of the Zonal Average Auction Rate (ZAAR) for the respective zone.

(ii) Further, if the additional hotel rooms are completed before 31-7-2010 and rated and classified by the competent authority before 31-8-2010, a concession of 25% of the ZAAR shall be allowed only to those hotels, which are not eligible for the Income Tax concessions available specifically to new hotels coming up during the Commonwealth Games 2010.

(iii) It has been decided that 75% of the payable amount shall be recovered at the stage of submission of building plans and rest 25% amount shall be recovered at the stage of completion.

(iv) Additional FAR charge @ 75% of ZAAR is to be recovered from those hotels which are not eligible for the Income Tax concessions available specifically to the new hotels coming up during the Commonwealth Games, while from those hotels which are eligible for such concession, additional FAR charge @ 100% of ZAAR is to be recovered.

(v) The ZAAR for the Central Zone in which the plot auctioned to M/s. Hotel Leela Ventures Ltd. By L & DO/NBCC may be calculated taken into account auction rate of that plot also.

[F. No. 20(4)/05-MP/Pt. I(A)]

V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054